

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर  
क्रमांक:-ई-20/नर्सिंग/ई.फा-179/जोन.जयपुर/2023/587 दिनांक:- 25/8/23

**आदेश**

निम्नांकित नर्सिंग कर्मियों को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) में उपलब्ध प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है। इनका स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिवस अकार्य दिवस माना जावेगा-

क्र.स	कर्मचारी का नाम एवं पद	पदस्थापन जिला	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	रेचल नैनान म.स्वा.कार्यकर्ता	जयपुर	20.05.1966	04.01.1995	27.09.2023
2	शुकन्तला सिन्धी म.स्वा.कार्यकर्ता	अलवर	10.07.1967	13.04.1994	01.09.2023

**इनके विरुद्ध:-**

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(सुरेश नवल)

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-ई-20/नर्सिंग/ई.फा.-179/जोन.जयपुर/2023/587 दिनांक:- 25/8/23  
प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर/अलवर।
4. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
5. प्रशासनिक अधिकारी, डीपीसी अनुभाग, मुख्यालय।
6. प्रशासनिक अधिकारी, टी0सी0 अनुभाग, मुख्यालय।
7. संबंधित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी।
8. संबंधित कर्मचारी को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
9. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
10. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर